विजय कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 30 /2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांकः अगस्त 16,2023

विषयः क्रिमिनल मिस बेल अप्लीकेशन सं0-9126/2023 जितेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.07.2023 के अनुपालन में सम्मन/वारण्ट आदि के तामीला हेतु निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा विचारण के दौरान साक्ष्य हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों / अन्य साक्षियों को सम्मन/वारण्ट के माध्यम से आहूत किया जाता है, इन सम्मन/वारण्ट के तामीला में विलम्ब होने के कारण न्यायालय में चल रही विचारण की प्रक्रिया बाधित होती है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्गत सम्मन/वारण्टों के प्रभावी तामीला हेतु पूर्व में इस मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं किन्तु जनपद स्तर पर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन न किये जाने के कारण अनेक अवसरों पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

डीजी परिपत्र सं0-56/2018 दि0-24.10.2018
डीजी परिपत्र सं0-46/2018 दि0-24.08.2018
डीजी परिपत्र सं0-27/2018 दि0-06.06.2018
डीजी परिपत्र सं0-60/2015 दि0-19.08.2015

क्रिमिनल मिस बेल अप्लीकेशन सं0-9126/2023 जितेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.07.2023 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सम्मन/वारण्ट तामीला की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने तथा इसमें नई तकनीक का प्रयोग करने हेतु निम्नवत निर्देशित किया है —

"The affidavit depicts progress made in formalizing a policy for ensuring timely service of summons and presence of witnesses in Court after due consultations with all stake holders.

The relevant issues on which a consensus has been achieved are reproduced hereunder:

(i) It was agreed to share the PNO numbers of police personnel, doctors and other personnel of the medical department, other government departments, the database of the officers of forensic department (their place of posting) in the e-court.

(ii) Additional Superintendent of Police/ Superintendent of Police level officers should be made nodal officer for effective monitoring of service of summons/warrants in each district and he should be made personally responsible.

(iii) The availability of sufficient number of police force to be deployed in the summons cell, working under the learned Chief Judicial Magistrate.

(iv) Determining the role of all the personnel engaged in the process of service of summons/warrants and their accountability should be determined.

(v) In this perspective, compliance of various government orders issued from government level, such as order dated 29.08.2022 and 23.11.2022 and all the office memorandum of the Director General of Police, government of U.P. to be ensured. Till the new system is in place, instructions are being issued for their effective implementation.

.....2

(vi) The system of N-STEP (National Service and Tracking of Electronic Process) being used for process/notice service in civil cases should be implemented in criminal cases as well as. A preliminary test for the above services (N STEP) in Prayagraj district, as a pilot project has been initiated. Detailed discussions are expected with the in-charge of the e-court, technical service branch of the police and NIC for the technical disruptions implementation of N-STEP in the (a centralised process service tracking application comprising of a web application and a complementary mobile app designed to streamline the process) application and their solutions.

(vii) Arrangements should be made to record the evidence of police personnel and other witnesses like doctors, experts etc. through video conferencing from their remote place of posting in each district. For this, a detailed discussion is required between the police department and e-court incharge and NIC.

(viii) Arrangement to make effective the payment of travel expenses payable to the witnesses as per rules.

(ix) For effective co-ordination stakeholders police, among prosecution, all Court, forensic labs, medical department etc. in the review meetings of district level monitoring cell, constituted by the order of Hon'ble High Court, the point of service of summons should be taken separately.

(x) Review, in connection with the execution of the process issued by the learned trial Courts is done by the Additional Director General of Police, (Crime) at the State Level because the police force engaged in the implementation is under their administrative control and also according to Section 62 of the Criminal Procedure Code, the Police Department is responsible for the implementation of the project, therefore for the entire process (planning, design and implementation) ADGP (Crime) Government of U.P should be made the nodal officer.

(xi) In this process, ADGP (Technical Services) Government of U.P, Lucknow and ADG (Prosecution) will provide full support."

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट हो रहा है कि सम्मन/वारण्ट तामीला की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था साक्षियों को साक्ष्य हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने में प्रभावी सिद्ध नहीं हो रही है, जिसके कारण मा0 न्यायालय द्वारा प्रचलित व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने तथा नई तकनीक का प्रत्येक स्तर पर उपयोग करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं—

i. विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्गत सम्मन/वारण्ट तामीला की व्यवस्था के पर्यवेक्षण हेतु कमिश्नरेट स्तर पर अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध)/ सहायक पुलिस उपायुक्त (अपराध) एवं जनपद स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) / पुलिस उपाधीक्षक (अपराध) को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। नोडल अधिकारी अपने कमिश्नरेट / जनपद में सम्मन/वारण्ट के तामीला की सम्पूर्ण व्यवस्था का अनुश्रवण करेंगे तथा न्यायालयों द्वारा निर्गत सम्मन/वारण्ट के तामीला में आ रही समस्याओं का तत्काल निराकरण करेंगे। प्रत्येक कमिश्नरेट/जनपद में नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नं0 सभी न्यायालयों तथा इस मुख्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. प्रत्येक कमिश्नरेट / जनपद में सम्मन तामीला हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशन में न्यायिक सम्मन सेल कार्य कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जनपदों की समीक्षा कर न्यायिक सम्मन सेल में नियतन के अनुसार आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करायेंगे।

iii. कमिश्नरेट / जनपद स्तर पर सम्मन एवं वारण्टों की तामीला हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि न्यायालयों द्वारा निर्गत सम्मन/वारण्ट का तामीला कराकर ससमय तामीला रिपोर्ट / वारण्टी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए।

.....3

iv. नोडल अधिकारी द्वारा सम्मन/वारण्ट के तामीला की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा व पुलिस आयुक्त/ जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में सम्मन/वारण्ट के तामीला की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। सम्मन/वारण्ट में शिथिलता बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

v. पुलिस आयुक्त/ जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्मन/वारण्ट तामीला के सम्बन्ध में आख्या, जिसमें संख्यात्मक सूचना का भी समावेश होगा, प्रत्येक माह जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त सम्मन/वारण्ट तामीला के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न प्रारुप में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक इस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

vi. जनपद में प्रत्येक माह आयोजित होने वाली मॉनिटरिंग सेल की बैठक में सम्मन तामीला की प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों यथा लोक अभियोजक /सम्बन्धित न्यायालय/विधि विज्ञान प्रयोगशाला/चिकित्सकों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु, सम्मन तामीला को बैठक के एजेन्डा में एक पृथक बिन्दु के रूप में शामिल किया जायेगा और इस पर अनिवार्य रूप से विचार विमर्श किया जायेगा।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि सम्मन/वारण्ट के तामीला के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत परिपत्रों तथा शासन स्तर से जारी शासनादेश के माध्यम से निर्गत निर्देशों का उपरोक्तानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में यदि इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो दोषी कार्मिकों तथा सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक- यथोपरि ।

भवदीय,

(विजय कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उ0प्र0।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/
   प्रभारी जनपद/रेलवे, उ0प्र0 ।

प्रतिलिपिः

1. विशेष पुलिस महानिदेशक,(कानून एवं व्यवस्था/अपराध), उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं), उ0प्र0।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 ।

प्रारुप- साक्षियों के सम्मन वारण्ट के तामीला की स्थिति ।

क्र0सं0	जोन	परिक्षेत्र	कमि0/जनपद	शीर्षक	माह में प्राप्त आदेशिकाओं की कुल संख्या	माह में तामील आदेशिकाओं की कुल संख्या	माह के अन्त में तामीला हेतु शेष आदेशिकाओं की कुल संख्या
				सम्मन			
				वारण्ट			